पत्र संख्या- 10 /2020/72/35-3-2020-1(43)/2015

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत,
उत्तर प्रदेश ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 2020

विषय: बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत, परन्तु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापित जनपद के विकास खण्ड पूरनपुर में सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम के सम्बन्ध में की गयी लापरवाही हेतु श्री तिलक सिंह, तत्कालीन जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीलीभीत के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-639/बी0एी0डी0पी0/2015-16/2019-20, दिनांक 03 अगस्त, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत जनपद-पीलीभीत के विकास खण्ड पूरनपुर में सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम के सम्बन्ध में की गयी लापरवाही हेतु श्री तिलक सिंह, तत्कालीन जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीलीभीत के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र में स्थापित किये गये उक्त संयंत्र अक्रियाशील बताये गये हैं, जबकि उक्त कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं। नियमानुसार स्थापित किये गये संयंत्रों के पूर्ण रूप से क्रियाशील होने के उपरान्त ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने चाहिए थे।

3- आपके पत्र में उल्लेख किया गया है कि परियोजना अधिकारी, यू0पी0नेडा, पीलीभीत को रू0 12.30 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी, किन्तु लगभग डेढ़ वर्ष तक यू0पी0 नेडा, पीलीभीत द्वारा उक्त स्वीकृत कार्य नहीं कराया गया एवं धनराशि अपने पास रखी गयी, जबकि वरिष्ठ परियोजना अधिकारी-2, यू0पी0 नेडा, मुख्यालय, लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से उक्त कार्य सम्पादित कराने हेतु ई-निविदा किये जाने के लिये धनरशि यू0पी0 नेडा, मुख्यालय के खाते में हस्तांतरित किये जाने की अपेक्षा की गई, परन्तु परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा, पीलीभीत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसी क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी, के पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2017 एवं दिनांक 06 अप्रैल, 2017 द्वारा परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा, पीलीभीत से धनराशि यू0पी0 नेडा, मुख्यालय को हस्तांतरित किये जाने के निर्देश दिये, परन्तु परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा, पीलीभीत द्वारा ऐसा नहीं किया गया, तथा यू0पी0 नेडा, मुख्यालय के पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2017 द्वारा अवगत कराया गया कि

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नेडा मुख्यालय से केवल सोलर लाइट का कार्य कराया जा रहा है, किन्तु सोलर वॉटर हीटर व सोलर पॉवर यूनिट की स्थापना हेतु निविदायें न होने के कारण उक्त कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

4- आपके पत्र में यह भी इंगित किया गया है कि तत्कालीन जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीलीभीत द्वारा बिना शासन की अनुमति लिये तथा बिना जिलाधिकारी की स्वीकृति लिये उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 12.30 लाख को कार्यदायी संस्था-मै0 कोटक ऊर्जा प्रा0 लि0, बैंगलोर को हस्तांतरित किये जाने हेतु नोट शीट के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत से अनुरोध किया, जिसके फलस्वरूप मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत के पत्र सं0-228, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के क्रम में परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा, पीलीभीत द्वारा उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था- मै0 कोटक ऊर्जा प्रा0 लि0, बैंगलोर को हस्तांतरित की गई, जो कि नियमानुसार अनुचित है।

5- उपर्युक्त प्रस्तर-3 में इंगित स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के बारे में पूर्व से न ही जानकारी प्राप्त की गई और न ही नियमानुसार प्रक्रिया अपनायी गई। इस सम्बन्ध में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा संस्था के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी पूर्व से ही परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा, पीलीभीत से प्राप्त करते हुये पत्रावली पर प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष उचित आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी के स्तर से परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा, पीलीभीत से धनराशि यू0पी0 नेडा मुख्यालय, लखनऊ को हस्तांतरित करने के निर्देश दिये गये थे। वरिष्ठ परियाजना अधिकारी-2 नेडा मुख्यालय के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से उक्त कार्य कराने हेतु ई-निविदा किये जाने हेतु धनराशि यू0पी0 नेडा के खाते में हस्तांतरित किये जाने के निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी परियोजना अधिकारी नेडा, पीलीभीत द्वारा नेडा मुख्यालय के खाते में धनराशि हस्तांतरित नहीं की गई, जिसके कारण निविदा आमंत्रित नहीं की गई।

6- परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा, पीलीभीत द्वारा कार्यदायी संस्था-मै0 कोटक ऊर्जा प्रा0 लि0, बैंगलोर के ब्लैकलिस्ट होने की जानकारी मौखिक रूप से दी गयी थी, जिसे लिखित रूप से संबंधित साक्ष्यों सहित उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाते हुये सभी सम्बन्धित अभिलेखों को पत्र के साथ उपलब्ध कराना चाहिये था। उक्त संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये ऑफर लेटर में अंकित विशिष्टियों एवं मानकों का परीक्षण परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा, पीलीभीत द्वारा किया जाना चाहिये था।

7- उपर्युक्त प्रकरण पर उ0प्र0 शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री तिलक सिंह, तत्कालीन जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीलीभीत के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ किये जाने तथा सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम की स्थापना में नियम/प्रक्रिया के विपरीत कार्य कराये जाने तथा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्यदायी संस्था को स्वीकृत धनराशि रू. 12.30 लाख हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजनाधिकारी, नेडा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी/रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है ।

8- अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तरदायी अधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में शासन को वस्तुस्थिति से एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आमोद कुमार)
प्रमुख सचिव
नियोजन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।